हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उप-निदेशक (अनुसंधान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:का0 (प्रशि0) ए(3)-I/2013 दिनांक 14.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19. 03.2016 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-15 ।

3. मन्त्री द्वारा वक्तव्य:

श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री, दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को मनाये जा रहे '**विश्व होम्योपैथी दिवस**' बारे वक्तव्य देंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री महेश्वर सिंह,** "दिनांक 15 मार्च, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "**पहाड़ी दरकने से गांव समाणा में बनी झील**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह,** "हाल ही में जिला मण्डी के अन्तर्गत धर्मपुर उप-मण्डल (ना0) के सृजन उपरान्त उप-तहसील टिहरा को प्रशासनिक दृष्टि से सरकाघाट से हटाकर तहसील सन्धोल के साथ जोड़ने" से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

6. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 7)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 4)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 3)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 5)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u> :

श्री सुरेश भारद्वाज, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश की विशेषकर शिमला शहर की ट्रैफिक प्रणाली पर यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004 | सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 4 अप्रैल, 2016 | सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)